Phone & Fax:- 0135-2530467,2531415

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
"गुणवत्ता नियंत्रण"
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail- eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 1464 /241 गु0नि0(SOP)/22–23 दिनांकः– 13 /12/2022

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता (आई0टी0),
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

विषयः– लो0नि0वि0 के अन्तर्गत संचालित प्रयोजना/निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन द्वारा जारी ई–पत्रावली सं0– 36650 दिनांक 25.10.2022 के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण के सम्बन्ध में SOP जारी की गई है जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि SOP की प्रति को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

13/12/22

(इं0 विनोद कुमार)
अधिशासी अभियन्ता, गुणवत्ता नियंत्रण

प्रतिलिपि :– वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, गुणवत्ता नियंत्रण, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अधिशासी अभियन्ता, गुणवत्ता नियंत्रण

13-12-2022 (03-38 PM)

I/72580/2022

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-2
ई पत्रावली संख्या-36650
देहरादून: दिनांक 25 अक्टूबर,2022

**कार्यालय ज्ञाप**

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं/निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के लिये मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है :-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को उनके कार्य क्षेत्रान्तर्गत तथा वृत्तीय कार्यालयों के अधीक्षण अभियन्ताओं को उनके वृत्त के यथासम्भव निकटवर्ती वृत्तों के चार-चार कार्य प्रतिमाह आवंटित किये जायेंगे। उपरोक्त अभियन्ता एक माह के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की जाँचोपरान्त, गुणवत्ता आख्या उपलब्ध करायेंगे।
2. मुख्य अभियन्ता (नियोजन/गुणवत्ता नियंत्रण) एवं अधीक्षण अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) के नेतृत्व में अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं के साथ अलग-अलग टीम गठित करके प्रत्येक माह चार-चार कार्यों की गुणवत्ता जाँच सम्पादित की जायेगी तथा एक माह के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की जाँचोपरान्त गुणवत्ता आख्या उपलब्ध करायेंगे।
3. मुख्य अभियन्ता (नियोजन/गुणवत्ता नियंत्रण)/अधीक्षण अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) के नेतृत्व में अधिशासी अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) एवं सहायक अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) के साथ Quality Audit हेतु टीम का गठन किया जायेगा। यह टीम प्रत्येक माह कम से कम एक कार्य का Quality Audit करेगी। Quality Audit के अन्तर्गत "All activities of the department ranging from planning, programming, design and execution to maintenance" से सम्बन्धित बिन्दुओं का परीक्षण एवं मूल्यांकन किया जायेगा तथा तद्नुसार Audit Report उपलब्ध करायी जायेगी।
4. निर्माण कार्य की जाँच हेतु जाँच अधिकारी नामित होने के उपरान्त सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्धारित Format में निर्माण कार्य से सम्बन्धित वांछित समस्त आख्याओं की प्रविष्टि करने के पश्चात् सम्बन्धित जाँच अधिकारी को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। विलम्ब की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. जाँच अधिकारी को आवंटित कार्य की जाँच के दौरान कार्य से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा अपेक्षित सहयोग सुलभ कराया जायेगा तथा जाँच अधिकारी द्वारा गुणवत्ता के सम्बन्ध में दिये गये मौखिक/लिखित निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गुणवत्ता आख्या का परीक्षण गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ में कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा किया जायेगा तथा सुधारात्मक श्रेणी के कार्यों में सुधार किये जाने हेतु प्रकरण सम्बन्धित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता एवं असन्तोषजनक श्रेणी के कार्यों में कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को प्रेषित किया जायेगा।
7. सम्बन्धित खण्ड द्वारा निर्माण कार्य ठीक करा लिये जाने की स्थिति में सुधारात्मक श्रेणी के कार्यों का सत्यापन वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता तथा असन्तोषजनक श्रेणी के कार्यों का सत्यापन क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा किया जायेगा।
8. सुधारात्मक कार्यों की श्रेणी का परिवर्तन मुख्य अभियन्ता (नियोजन/गुणवत्ता नियंत्रण) द्वारा अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर तथा असन्तोषजनक कार्यों की श्रेणी का परिवर्तन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।
9. प्रत्येक अनुबन्ध के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु विभिन्न सामग्री प्रयोग करने से पूर्व सक्षम स्तर से Source Approval की कार्यवाही की जायेगी तथा Source Approval जाँच अधिकारी के स्थल निरीक्षण के समय प्रस्तुत भी की जायेगी।
10. ₹ 1.50 करोड़ से अधिक धनराशि के अनुबन्ध में सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर गुणवत्ता परीक्षण से सम्बन्धित प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी।
11. लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित भवन, सड़क एवं सेतु सम्बन्धित परियोजनाओं के सभी निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं सम्पादित कार्यों के परीक्षणों में से कम से कम 10% परीक्षण लोक निर्माण विभाग की क्षेत्रीय/जनपदीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से करायें जायेंगे।
12. गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा प्रत्येक माह विभिन्न जाँच अधिकारियों से प्राप्त समस्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रगति आख्या तैयार करने के उपरान्त प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।

13. गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित जाँच अधिकारी निर्माणाधीन कार्यों हेतु , अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर योग्य एवं अनुभवी डिग्री धारी/डिप्लोमाधारी अभियन्ता की अनुपस्थिति पाये जाने की दशा में अपनी जाँच आख्या में उल्लिखित करेंगे और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे।
14. गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित जाँच अधिकारी निर्माणाधीन कार्यों हेतु अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता परीक्षण हेतु आवश्यक टेस्टिंग उपकरणों सहित स्थापित फील्ड लैब के Co-ordinates फोटोग्राफ्स सहित अपनी जाँच आख्या में संलग्न करेंगे। यदि फील्ड लैब स्थापित नहीं की गयी है तो इसका उल्लेख भी अपनी जाँच आख्या में करेंगे तथा इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे।
15. क्वालिटी कन्ट्रोल रजिस्टर (P1) में कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा नियुक्त अभियन्ता द्वारा सम्बन्धित विभागीय अभियन्ता की उपस्थिति में किये गये सभी परीक्षण परिणामों को अंकित किया जायेगा तथा क्वालिटी कन्ट्रोल रजिस्टर (P2) में, (P1) रजिस्टर में अंकित टेस्ट परिणामों में जो अधोमानक अथवा Fail की श्रेणी के हैं, अंकित किया जायेगा। P2 रजिस्टर में अधोमानक अथवा Fail श्रेणी के परिणामों पर नियमानुसार की गयी कार्यवाही भी अंकित की जायेगी। गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित जाँच अधिकारी द्वारा कार्यस्थल पर किये गये परीक्षण से सम्बन्धित क्वालिटी रजिस्टर का निरीक्षण किया जायेगा।
16. गतिमान कार्य की गुणवत्ता आख्या सुधारात्मक/असन्तोषजनक श्रेणी में प्राप्त होने की स्थिति में जब तक ठेकेदार द्वारा इंगित कमियों का पूर्ण रूप से सुधार/निराकरण नहीं कर लिया जाता है, तब तक गतिमान कार्यों का भुगतान न किया जाये।
17. गतिमान कार्यों का अन्तिमीकरण से पूर्व सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि गुणवत्ता आख्या के आधार पर इंगित कमियों का सुधार/निराकरण किया जा चुका है तथा सक्षम स्तर से इन कार्यों का सत्यापन हो चुका है।
18. निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त देयकों में गुणवत्ता परीक्षण आख्या अनिवार्य रूप से अभिलेखित की जाये।
19. जाँच अधिकारी द्वारा सम्बन्धित खण्ड के अभियन्ताओं एवं ठेकेदार/प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्माण कार्य/सामग्री का सैम्पल लिया जायेगा तथा सैम्पल की गोपनीयता बनाये रखने हेतु कोडिंग/कोड संख्या अंकित की जायेगी।
20. गुणवत्ता परीक्षण हेतु निर्माण कार्यों का चयन इस प्रकार किया जाये कि समस्त प्रकार के कार्यों का समावेश हो तथा कार्यों का आवंटन इस प्रकार किया जाये कि निर्धारित रूट पर निर्माणाधीन अधिक से अधिक कार्यों की जाँच की जा सके।
21. क्वालिटी कंट्रोल की आख्या प्रमुख अभियन्ता के माध्यम से शासन को संदर्भित की जायेगी , जिस पर प्रमुख अभियन्ता अपनी संस्तुति करेंगे व शासन स्तर पर समीक्षा की जायेगी।
22. विभाग द्वारा क्षेत्रीय एवं जनपदीय प्रयोगशालाओं को ISO 9000 एवं ISO 9001 के स्तर पर लाये जाने हेतु अपग्रेड किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
23. जाँच अधिकारी द्वारा निर्माणाधीन कार्यों व निर्मित कार्यों का स्वीकृत आगणन एवं तकनीकी स्वीकृत आगणन का संज्ञान लेते हुए निर्माण कार्यों की जाँच की जायेगी।
24. जनपदीय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की कम से कम वर्ष में एक बार जाँच मुख्य अभियन्ता (नियोजन/गुणवत्ता नियंत्रण) लो०नि०वि०, देहरादून द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) द्वारा आवश्यक रूप से की जायेगी। इन प्रयोगशालाओं में किसी भी प्रकार की कमी संज्ञान में आने पर उसका समाधान किए जाने का उत्तरदायित्व मुख्य अभियन्ता (नियोजन/गुणवत्ता नियंत्रण) लो०नि०वि०, देहरादून का होगा।
25. जाँच अधिकारी निर्धारित Format में अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। उक्त Format विभागीय Website पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसमें तथा जाँच आख्या upload की जायेगी, ताकि reporting में एकरूपता रहे।
26. कार्य सम्पादन के दौरान सम्बन्धित खण्डों के द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रस्तावित SOP का अनुपालन किया जायेगा तथा क्वालिटी कंट्रोल सेल द्वारा कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु वर्तमान व्यवस्थानुसार ही प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के स्तर से कार्यों की जाँच कराने हेतु कार्यवाही की जायेगी। गुणवत्ता नियंत्रण आख्या SOP के अन्तर्गत निर्धारित Format पर गुणवत्ता नियंत्रण एप पर अपलोड की जायेगी , जिसकी समीक्षा मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) के माध्यम से की जायेगी।
27. Capacity Building हेतु फील्ड अभियन्ताओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु Annual Plan बनाया जायेगा। इस हेतु मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) के निर्देशन में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
28. ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर कार्य की आवश्यकतानुसार कुशल श्रमिक रखे जायेंगे। कार्य सम्पादन के समय श्रमिकों की कुशलता का परीक्षण सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कार्य की आवश्यकता के अनुरूप कार्यस्थल पर कुशल श्रमिक नहीं पाये जाते हैं तो अनुबन्ध की

शर्तानुसार ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

29. निर्माण कार्य के दौरान कार्य की निगरानी/नियंत्रण हेतु सेतु निर्माण स्थल एवं मार्ग कार्य हेतु Hot Mix Plant Site पर C.C.T.V लगाये जायेंगे। मार्ग एवं सेतु कार्य हेतु Drone का उपयोग किया जायेगा, जिसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सम्बन्धित खण्डीय कार्यालय की होगी। Drone के उपयोग हेतु प्रशासन से आवश्यक अनुमति भी प्राप्त की जायेगी।
30. निर्माण कार्यो की गुणवत्ता हेतु Community/Citizens का सहयोग प्राप्त किया जाना उचित होगा। इस हेतु Community के स्तर से गुणवत्ता नियंत्रण एप पर प्राप्त शिकायतों/सुझावों का संज्ञान विभाग द्वारा लिया जाएगा और परीक्षणोंपरान्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
31. मार्ग पर नाली/स्कपर के निर्माण के पश्चात् ही बिटुमिनस कार्य किया जायेगा। नाली एवं स्कपर के निर्माण में कार्यस्थल की आवश्यकतानुसार Pre-cast तकनीक के उपयोग को प्राथमिकता दी जायेगी।
32. Quality में किसी प्रकार की कमी अथवा अनियमितता की स्थिति में शासनादेश संख्या- 400/III(1)/20-2(5)/जाँच/2020 दिनांक 11.02.2020 एवं शासनादेश संख्या-841/III(1)/20-2(5)/जाँच/2020 दिनांक 25.06.2020 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

अतः उक्त मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

Signed by Ramesh Kumar Sudhanshu
Date: 21-10-2022 17:08:09

(रमेश कुमार सुधांशु)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून, को इस निर्देश के साथ कि उक्त निर्देशों का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. तकनीकी परामर्शदाता-प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. लोक निर्माण अनुभाग- 1/3/गार्ड बुक।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

Signed by Shyam Singh
Date: 21-10-2022 17:13:06
Reason: Approved

Phone & Fax:- 0135-2530467,2531415

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"गुणवत्ता नियंत्रण"
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail- cepwdua@gmail.com

पत्रांकः– 1455 / 241 गु0नि0(SOP) / 22–23 दिनांकः– 09 / 12 / 2022

शासन के कार्यालय ज्ञाप ई0 पत्रावली सं0 36650– देहरादून दिनांक 25.10.2022 द्वारा लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं / निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के लिये मानक संचालन प्रकिया (SOP) जारी की गई है। जिसमें 32 बिन्दुओं पर मार्गदर्शी निर्देशों का अनुपालन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाना है।

बिन्दु 1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 द्वारा कार्यों की जांच हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता को उनके क्षेत्रान्तर्गत तथा वृत्तीय कार्यालय के अधीक्षण अभियन्ताओं को उनके वृत्त के यथासम्भव निकटवर्ती वृत्तों के चार–चार कार्य प्रतिमाह आबंटित किये जायेंगे। उपरोक्त अभियन्ता एक माह के अन्तर्गत जांच आख्या गुणवत्ता सेल को उपलब्ध करायेंगे। उक्त प्रक्रिया पूर्व से ही गुणवत्ता नियन्त्रण सेल में गतिमान है। समस्त मुख्य / अधीक्षण अभियन्ता निर्धारित समयान्तर्गत जांच आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ।

बिन्दु 2– मुख्य अभियन्ता (नियोजन / गुणवत्ता) एवं अधीक्षण अभियन्ता (गु0नि0) के नेतृत्व में अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के साथ अलग–अलग टीम गठित करके प्रत्येक माह चार–चार कार्यों की गुणवत्ता जांच सम्पादित की जायेगी। इस क्रम में निम्नानुसार गुणवत्ता प्रकोष्ठ में टीम गठित की जाती है।

(A) मुख्य अभियन्ता (नि0 / गु0नि0)

- अधिशासी अभियन्ता (गढ़वाल क्षेत्र)
  - सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (गढ़वाल)
- अधिशासी अभियन्ता (कुमाऊं क्षेत्र)
  - सम्बन्धित सहायक अभियन्ता (कुमाऊं)

(B) अधीक्षण अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) (गढ़वाल क्षेत्र)

- अधिशासी अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) विनोद कुमार
  - सहायक अभियन्ता
    - इं0 पी0एल0 डोभाल
    - इ0सरिता बुदियाल
    - इ0रितिका सेमवाल

(C) अधीक्षण अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) (कुमाऊँ क्षेत्र)

- अधिशासी अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) आर0पी0 सिंह
  - सहायक अभियन्ता
    - इं0 कुलदीप कुमार
    - इं0 मुहम्मद तहसीन

(कार्यवाही– गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ)

Assistant Engineer
Quality Control Division
P.W.D., Dehradun

Assistant Engineer
Quality Control Division
P.W.D., Dehradun

राजेश प्रताप सिंह
अधिशासी अभियन्ता

बिन्दु 3– मुख्य अभियन्ता (नि0/गु0नि0)/अधीक्षण अभियन्ता ( गुणवत्ता नियंत्रण) के नेतृत्व के अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रत्येक माह एक कार्य का quality audit किया जायेगा। जिस हेतु बिन्दु 2 के अनुसार अधिकारी/कर्मचारी नामित होंगे। Quality audit के अन्तर्गत all activities of the department ranging from planning, programming, design and execution to maintenance से सम्बन्धित बिन्दुओं का परीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी।

(कार्यवाही– गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ)

बिन्दु (4)– खण्डीय अधिशासी अभियन्ता स्तर पर जांच टीम को सम्बन्धित कार्य संबंधी अभिलेख निर्धारित फॉरमेट (संलग्नक–1) में प्रविष्टि करने के पश्चात नामित जांच अधिकारी को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराना होगा। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अधिशासी अभियन्ताओं का होगा।

(कार्यवाही– समस्त खण्ड़ीय अधिशासी अभियन्ता)

बिन्दु 5– कार्यस्थल पर जांच अधिकारी को सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अन्य स्टाफ द्वारा जांच के दौरान पूर्ण सहयोग किया जायेगा ।

(कार्यवाही– समस्त खण्ड़ीय अधिशासी अभियन्ता)

बिन्दु 6– जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत गुणवता आख्या का परीक्षण गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ में कार्यरत अभियन्ताओं द्वारा किया जायेगा तथा सुधारात्मक श्रेणी के कार्यों में सुधार किये जाने हेतु प्रकरण संबंधित वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता एवं असंतोषजनक श्रेणी के कार्यों में कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष तथा संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को प्रेषित किया जायेगा। यह प्रक्रिया पूर्व से ही गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ में गतिमान है। जिस पर प्रकोष्ठ द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है।

(कार्यवाही– गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ)

बिन्दु 7– संबंधित खण्ड द्वारा निर्माण कार्य ठीक करा लिये जाने की स्थिति में सुधारात्मक श्रेणी के कार्यों का सत्यापन वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता तथा असंतोषजनक श्रेणी के कार्यों का सत्यापन क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। यह प्रक्रिया पूर्व से ही गुणवत्ता प्रकोष्ठ में गतिमान है। जिस पर प्रकोष्ठ द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य/अधीक्षण अभियन्ता)

बिन्दु 8– सुधारात्मक कार्यों की श्रेणी का परिवर्तन मुख्य अभियन्ता (नियोजन/गुणवत्ता नियंत्रण) द्वारा अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर तथा असंतोषजनक कार्यों की श्रेणी का परिवर्तन प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा। यह प्रक्रिया पूर्व से ही गुणवत्ता प्रकोष्ठ में गतिमान है। जिस पर प्रकोष्ठ द्वारा निरन्तर अनुश्रवण किया जा रहा है।

(कार्यवाही– गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ)

Assistant Engineer
Quality Control Division
P.W.D., Dehradun

कुलदीप कुमार
सहायक अभियन्ता

Quality Control
P.W.D., Dehradun

राजेश प्रताप सिंह
अधिशासी अभियन्ता

इं0 अनिल पांडेय
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

बिन्दु 9–प्रत्येक अनुबन्ध के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु विभिन्न सामग्री प्रयोग करने से पूर्व सक्षम स्तर से Source approvel की कार्यवाही की जायेगी। Source approvel जांच अधिकारी को जांच के समय सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त खण्डीय अधिशासी अभियन्ता)

बिन्दु 10– 1.50 करोड़ से अधिक धनराशि के अनुबन्धों के अन्तर्गत सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा कार्यस्थल पर प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी। जिसमें नियमित रूप से मानकों के अनुसार आवश्यक टैस्ट कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी।

(कार्यवाही– समस्त खण्डीय अधिशासी अभियन्ता)

बिन्दु 11– लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत संचालित भवन, सड़क एवं सेतु सम्बन्धित परियोजनाओं के सभी निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं सम्पादित कार्यों के परीक्षणों में से कम से कम दस प्रतिशत परीक्षण लोक निर्माण विभाग की क्षेत्रीय /जनपदीय प्रयोगशालाओं से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा प्रत्येक माह कराये गये परीक्षणों की आख्या विभागाध्यक्ष कार्यालय को प्रेषित जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त खण्डीय अधिशासी अभियन्ता)

बिन्दु 12– गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा प्रत्येक माह विभिन्न जांच अधिकारियों से प्राप्त समस्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से संबंधित प्रगति आख्या तैयार करने के उपरान्त प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी। यह प्रक्रिया पूर्व से ही गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ में विद्यमान है।

(कार्यवाही– गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ)

बिन्दु 13– गुणवत्ता नियंत्रण सें संबंधित जांच अधिकारी निर्माण कार्यों हेतु अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर योग्य एवं अनुभवी डिग्री धारी/डिप्लोमा धारी अभियन्ताओं के अनुपस्थित पाये जाने पर अपनी जांच आख्या में इसका उल्लेख करेंगे एवं इस संबंध में कार्यवाही करेंगे।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य/अधीक्षण अभियन्ता)

बिन्दु 14– गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित जांच अधिकारी निर्माणाधीन कार्यों हेतु अनुबन्ध का शर्तों के अनुसार ठेकेदार द्वारा गुणवता परीक्षण हेतु आवश्क टेस्टिंग उपकरणों सहित स्थापित फील्ड़ लैब के Co-ordinates photographs सहित अपनी जांच आख्या में संलग्न करेंगे। यदि फील्ड लैब स्थापित नहीं है तो उसका उल्लेख भी जांच आख्या में करेंगे तथा इस संबंध में कार्यवाही भी करेंगे।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य/अधीक्षण अभियन्ता)

Assistant Engineer
Quality Control Division
P.W.D., Dehradun

कुलदीप कुमार
सहायक अभियन्ता

Assistant Engineer
Quality Control Division
P.W.D., Dehradun

राजेश प्रताप सिंह
अधिशासी अभियन्ता

इं० अनिल गोयल
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

बिन्दु 15– क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर (P-1) में कार्यस्थल पर ठेकेदार द्वारा नियुक्त अभियन्ता द्वारा वि॰ ीय अभियन्ता की उपस्थिति में किये गये सभी परीक्षण परिणामों को अंकित किया जाएगा तथा क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर P-2 में P-1 रजिस्टर में अंकित परिणाम जो अधोमानक अथवा फेल श्रेणी के परिणामों पर नियमानुसार की गई कार्यवाही भी अंकित की जाएगी तथा जांच अधिकारी द्वारा कार्यस्थल पर किये गये परीक्षण से सम्बन्धित क्वालिटी रजिस्टर का निरीक्षण किया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल रजिस्टर P-1 एवं P-2 (PMGSY के अनुसार) के प्रारूप संलग्न है (संलग्नक–2)।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता एवं समस्त खण्डीय अभियन्ता)

बिन्दु 16–गतिमान कार्यों की गुणवत्ता आख्या सुधारात्मक/असंतोषजनक श्रेणी में प्राप्त होने की स्थिति में जब तक ठेकेदार द्वारा इंगित कमियों का सुधार/निराकरण नही कर लिया जाता है तब तक गतिमान कार्यों का भुगतान न किया जाय।

(कार्यवाही– समस्त खण्ड़ीय अधिशासी अभियन्ता)

बिन्दु 17– गतिमान कार्यों के अन्तिमीकरण से पूर्व संबंधित अभियन्ताओं द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि गुणवत्ता आख्या के आधार पर इंगित कमियों का सुधार/निराकरण किया जा चुका है एवं सक्षम अधिकारी से इन कार्यों का सत्यापन भी हो चुका है।

(कार्यवाही– समस्त खण्ड़ीय अधिशासी अभियन्ता)

बिन्दु 18– निर्माण कार्यों से संबंधित समस्त देयकों में गुणवत्ता परीक्षण आख्या अनिवार्य रूप से अभिलेखित की जाय।

(कार्यवाही– समस्त खण्ड़ीय अधिशासी अभियन्ता)

बिन्दु 19– जांच अधिकारी द्वारा संबंधित खण्ड़ के अधिशासी अभियन्ता एवं ठेकेदार प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्माण कार्य/ सामग्री का सैम्पल लिया जायेगा एवं गोपनीयता बनाये रखने हेतु कोड़िग/कोड़ संख्या अंकित की जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता एवं समस्त खण्डीय अभियन्ता)

बिन्दु 20– गुणवत्ता परीक्षण हेतु निर्माण कार्यों का चयन इस प्रकार किया जाय कि समस्त प्रकार के कार्यों का समावेश हो तथा कार्यों का आबंटन इस प्रकार किया जाय कि निर्धारित रूट पर निर्माणाधीन अधिक से अधिक कार्यों की जांच की जा सके।

(कार्यवाही– गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ)

Assistant Engineer
Quality Control Division
P.W.D., Dehradun

कुलदीप कुमार
Assistant Engineer
Quality Control Division
P.W.D., Dehradun

राजेश प्रताप सिंह
अधिशासी अभियन्ता

इं० अधिशासी अभियन्ता
वाहन एवं यांत्रिकी

बिन्दु 21– क्वालिटी कंट्रोल की आख्या प्रमुख अभियन्ता के माध्यम से शासन को संदर्भित की जायेगी जिस पर प्रमुख अभियन्ता अपनी संस्तुति करेंगे व शासन स्तर पर समीक्षा की जायेगी।

(कार्यवाही– गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ)

बिन्दु 22– विभाग द्वारा क्षेत्रीय/जनपदीय प्रयोगशालाओं को ISO-9000 एवं ISO-9001 के स्तर पर अपग्रेड करने हेतु संबंधित खण्डों द्वारा अपग्रेड़ की कार्यवाही कर प्रस्ताव विभागाध्यक्ष कार्यालय को एक माह के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जायेंगे।

(कार्यवाही– समस्त खण्डीय अधिशासी अभियन्ता)

बिन्दु 23– जांच अधिकारियों द्वारा निर्माणाधीन कार्यों व निर्मित कार्यों का स्वीकृत आगणन एवं तकनीकी स्वीकृत आगणन का संज्ञान लेते हुए कार्यों की जांच की जायेगी एवं तदनुसार आख्या प्रेषित की जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य/अधीक्षण अभियन्ता)

बिन्दु 24– जनपदीय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की जांच कम से कम वर्ष में एक मुख्य अभियन्ता (नियोजन/ गुणवत्ता नियन्त्रण) लो0नि0वि0 देहरादून द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता गुणवत्ता नियन्त्रण द्वारा आवश्यक रूप से की जायेगी। प्रयोगशालाओं में किसी भी प्रकार की कमी संज्ञान में आने पर इसका समाधान किये जाने का उत्तरदायित्व मुख्य अभियन्ता (नियोजन/ गुणवत्ता नियंत्रण) का होगा। निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी। (संलग्नक–3)

(कार्यवाही– मुख्य अभियन्ता नियोजन/ गुणवत्ता नियन्त्रण )

बिन्दु 25– जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित फॉर्मेट पर जांच आख्या प्रस्तुत की जायेगी। उक्त फॉर्मेट विभागीय Website पर प्रदर्शित किया जायेगा जिसमें जांच आख्या अपलोड़ की जायेगी। जिससे रिपोर्टिंग में एकरूपता रहे। फॉर्मेट संलग्न है (संलग्नक–4)।

(कार्यवाही–समस्त मुख्य/अधीक्षण अभियन्ता एवं आई0टी0 सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय)

बिन्दु 26– बिन्दु 25 के अनुसार गुणवत्ता नियंत्रण App विकसित करने की कार्यवाही की जायेगी जिससे कार्यों की समीक्षा की जा सके।

(कार्यवाही– गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ एवं आई0टी0 सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय)

Assistant Engineer
Quality Control Division
P.W.D., Dehradun

कुलदीप कुमार
सहायक अभियन्ता

Assistant Engineer
Quality Control Division
P.W.D., Dehradun

राजेश प्रताप सिंह
अधिशासी अभियन्ता

इं0 अनिल पांगती
प्रोग्रेस ऑफिसर

बिन्दु 27– Capacity building हेतु फील्ड अभियन्ताओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु annual plan बनाया जायेगा इस हेतु मुख्य अभियन्ता (गुणवत्ता नियंत्रण) के निर्देशन में प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष कार्यालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

(कार्यवाही– मुख्य अभियता, गुणवत्ता नियंत्रण)

बिन्दु 28– ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर कार्य की आवश्यकतानुसार कुशल श्रमिक रखे जायेंगे। कार्य सम्पादन के समय श्रमिकों की कुशलता का परीक्षण संबंधित सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा यदि कार्य की आवश्यकता के अनुरूप कार्यस्थल पर कुशल श्रमिक नहीं पाये जाते है तो अनुबन्ध की शर्तानुसार ठेकेदार के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही सुनिचित की जायेगी। संबंधित सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य के संबंध में कुशल श्रमिकों को रखे जाने संबंधी प्रमाण पत्र दिया जायेगा। (संलग्नक–5)

(कार्यवाही– समस्त खण्ड़ीय अधिशासी अभियन्ता)

बिन्दु 29– निर्माण कार्य के दौरान कार्य की निगरानी/नियंत्रण हेतु निर्माण स्थल एवं मार्ग कार्य हेतु Hot mix Plant Site पर CCTV लगाये जायेंगे। मार्ग एवं सेतु कार्य हेतु ड्रोन का उपयोग भी किया जायेगा जिसकी कार्यवाही संबंधित खण्ड़ द्वारा की जायेगी। ड्रोन के उपयोग हेतु प्रशासन से आवश्यक अनुमति भी प्राप्त की जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त खण्ड़ीय अधिशासी अभियन्ता)

बिन्दु 30– निर्माण कार्यों की गुणवत्ता हेतु community/Citizens का सहयोग प्राप्त किया जायेगा इस हेतु community स्तर से गुणवता नियंत्रण App पर प्राप्त शिकायतों/सुझावों का संज्ञान विभाग द्वारा लिया जायेगा।

(कार्यवाही– गुणवत्ता नियन्त्रण प्रकोष्ठ एवं आई0टी0 सैल विभागाध्यक्ष कार्यालय)

बिन्दु 31–मार्ग पर नाली/स्कपर के निर्माण के पश्चात ही बिटुमिनस कार्य किया जायेगा। नाली एवं स्कपर के निर्माण में कार्यस्थल की आवश्यकता अनुसार Pre-cast तकनीक के उपयोग को प्राथमिकता दी जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त खण्ड़ीय अधिशासी अभियन्ता)

Assistant Engineer
Quality Control Division
P.W.D., Dehradun

राजेश प्रताप सिंह
अधिशासी अभियन्ता

इं0 आदिल गांगाती

बिन्दु 32– Quality में किसी भी प्रकार की कमी अथवा अनियमितता की स्थिति में शासनादेश संख्या 400 / / /(1) / 20–2(5) / जांच / 2022 दिनांक 11.02.2020 एवं शासनादेश संख्या 841 / / /(1) / 20–2(5) / जांच / 2022 दिनांक 25.06.2020 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(कार्यवाही– समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता एवं समस्त खण्डीय अभियन्ता)

**संलग्नक– उपरोक्तानुसार ।**

06/12/2022

(अयाज अहमद)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

06/12/22

प्रतिलिपि–

1– प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन लोक निर्माण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य अभियन्ता, (गुणवत्ता नियंत्रण), लो0नि0वि0 देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय / रा0मा0, लो0नि0वि0, देहरादून / पौड़ी / देहरादून / अल्मोड़ा / हल्द्वानी को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

4– वरिष्ठ स्टाफ आफिसर, गुणवत्ता नियंत्रण, लो0नि0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

5– समस्त अधीक्षण अभियन्ता,....., लो0नि0वि0 देहरादून / रा0मा0 देहरादून / हरिद्वार / गोपेश्वर / पौड़ी / टिहरी / उत्तरकाशी / पिथौरागढ / अल्मोडा / नैनीताल / ऊधमसिंहनगर / रा0मा0, हल्द्वानी को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

6– अधिशासी अभियन्ता, गुणवत्ता नियंत्रण, लो0नि0वि0, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

7–समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 / नि0 / अ0 खण्ड, लो0नि0वि0,..... को उपरोक्तानुसार अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

Assistant Engineer
Quality Control Division
P.W.D., Dehradun

कुलदीप कुमार
सहायक अभियन्ता

Assistant Engineer
Quality Control Division
P.W.D., Dehradun

अधिशासी अभियन्ता

इं0 अनिल पोगती
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर



02-11-2022 (1-05 PM)